

:: आदेश ::

अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक- 8 बी/यू0सी0पी0/06/36/2018/एफ0सी0/619, दिनांक 3.7.2018 के तहत, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 6.940 है0 वन भूमि के बदले 13.88 है0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम म्यूटेशन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में, उप जिलाधिकारी पाटी द्वारा, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट से प्राप्त सिविल भूमि म्यूटेशन प्रस्ताव संलग्न कर, अपने पत्र संख्या- 576, दिनांक 2.8.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। उप जिलाधिकारी पाटी द्वारा प्रस्तुत भूमि प्रस्ताव के अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

1- उक्त परियोजना हेतु ग्राम-गूम, प0क्ष0 पाटी, तहसील पाटी, जनपद चम्पावत के गैर जं0वि0 श्रेणी श्रेणी-9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के खाता संख्या- 64, खेत नं0 1885, रकवा 8.040 है0, खेत नं0 1887, रकवा 6.041 मध्ये 5.84 है0, कुल 13.88 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि के पूरब में नाप भूमि, पश्चिम में सिविल भूमि ग्राम गूम, उत्तर में सिविल भूमि ग्राम गूम व दक्षिण में सिविल भूमि ग्राम गूम है।

2- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक, श्मशानघाट, मन्दिर/ मस्जिद नहीं है।

3- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है।

4- प्रस्तावित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

5- प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रधानों की निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

उपजिलाधिकारी पाटी द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक-8 बी/यू0सी0पी0/06/36/2018/एफ0सी0/619, दिनांक 3.7.2018 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी पाटी की उक्त संस्तुति के क्रम में, जनपद चम्पावत में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले, ग्राम -गूम, प0क्ष0 पाटी, तहसील पाटी के खाता संख्या- 64, श्रेणी-9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के खेत नं0 1885, रकवा 8.040 है0, खेत नं0 1887, रकवा 6.041 मध्ये 5.84 है0, कुल 13.88 है0 भूमि को, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या-4743/सात- 5/व0भू0-भूमि हस्ता0/2016-17, दिनांक अगस्त, 14, 2018
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
4. उप जिलाधिकारी पाटी।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।
6. तहसीलदार पाटी को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम भू-अभिलेखों में नामान्तरण कर नियमानुसार हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।

उद्घरण गरी जमोदारी विनाश खतोनी

ग्राम ग्राम

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्रपारी

तहसील पारी

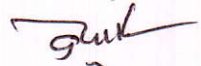
जिला चम्पावत

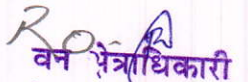
खतोनी खता संख्या	खतोदारों के नाम पिता / पति का नाम व निवास स्थान	आधिकारिक आधेकार का वर्ष	खसरा नम्बर	खसरा रकबा	माल गुजरी रु० प०	विवरण
64	पैली 9 (3) 50 नं० का० छा०		2 3 हमशः 1885 1887 क्रमशः 7005 1692 7007	1.034 0.813 क्रमशः 8.040 6.041 क्रमशः 0.333 0.104		जिलाधिकारी मुख्यालय चम्पावत के कार्यालय से 4743/साते-2/व० अ०-अग्नि हस्ता-1/2016-17 से 14-8-2018 तक ग्राम ग्राम पट्टी का वीतह पारी के गैर खसरा खसरा से 64 पैली 9 (3) 50 नं० का० छा० के खेत नं० 1885 रकबा 8.040 हे० खेत 1887 रकबा 6.041 मध्य 5.84 हे० कुल 13.88 हे० अग्नि हस्ता प्रकृत हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरेण / हस्ता-नारण कमलेश्वराम दे किया जाता है हस्ता- शे० अ० मी० पारी हस्ता- सत्यापित R.K. पारी असल खतोनी से नकल की
	योग		334	217.025		
						शे० अ० मी० पारी तह. जिला- चम्पावत दिनांक.....

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 6.94 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसके दोगुने क्षेत्रफल 13.88 हे० में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम गूम पट्टी क्षेत्र पाटी तहसील पाटी जिला चम्पावत में प्रस्तावित की गई है जो गै०ज०वि० श्रेणी 9(3)ड बं०का०आ० के खतौनी खाता सं० 64 के खेत नं० 1885 रकवा 8.040 हे० खेत नं० 1887 रकवा 6.041 मध्ये 5.84 हे० कुल रकवा **13.88 हे०** का जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 4743/सात-5/व०भू०-भूमि हस्ता०/2016-17 दिनांक 14-8-2018 के द्वारा वनविभाग के नाम नामांतरण/हस्तानांतरण हेतु आदेशित किया गया है। तहसीलदार पाटी द्वारा उक्त भूमि का अमलदरामद (नामांतरण) वनविभाग के नाम कर दिया गया है। उक्त सिविल भूमि को वनविभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। यह भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन दरोगा
झुनाघाट


वन क्षेत्राधिकारी
देवीधूरा वन क्षेत्र
चम्पावत वन प्रभाग


प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत